महत्वपूर्ण

संख्या-30/2017/1027/92-1-2017-65एम/2014

प्रेषक,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक एवं मुख्य अभियंता,
ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 05 मई, 2017

विषयः- ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के समस्त निर्माण कार्यों में ई-टेण्डरिंग व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के आदेश संख्या-4847/92-1-2015-65एम/2014, दिनांक 27-11-2015 एवं आदेश संख्या-409/92-1-2016-65एम/2014, दिनांक 19-02-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के उपर्युक्त आदेश दिनांक 27-11-2015 द्वारा ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिये रू0 10.00 लाख अथवा उससे अधिक लागत के सभी निर्माण कार्यों में निविदा डालने हेतु ई-टेण्डरिंग की व्यवस्था लागू की गयी थी। उपर्युक्त आदेश के अनुक्रम में निदेशालय के पत्र दिनांक 29-01-2016 द्वारा कतिपय व्यवहारिक कठिनाईयों का उल्लेख करते हुये वित्तीय वर्ष 2016-17 तक रू0 10.00 लाख से ऊपर के कार्यों को ई-टेण्डरिंग के माध्यम से कराये जाने हेतु छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में किये गये अनुरोध पर विचारोपरान्त शासन के उक्त आदेश दिनांक 19-02-2016 द्वारा पूर्ववत आदेश दिनांक 27-11-2015 में प्राविधानित व्यवस्था को वित्तीय वर्ष 2016-17 तक के लिये स्थगित रखा गया था।

3- उल्लेखनीय है कि लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन के आदेश सं0-6/2017/350/23-7-2017-176(सामान्य)/06टीसी, दिनांक 31-03-2017 द्वारा लोक निर्माण विभाग के समस्त कार्यों में ई-टेण्डरिंग व्यवस्था लागू कर दी गयी है।

4- अतः सम्यक् विचारोपरान्त लोक निर्माण विभाग की भांति ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में भी शुचिता एवं पारदर्शिता बनाये रखे जाने हेतु समस्त निर्माण कार्यों की निविदायें तत्काल प्रभाव से ई-टेण्डरिंग के माध्यम से प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।

5- कृपया तद्नुसार उक्त निर्णय से समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को अवगत कराते हुये कड़ाई से इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मो0 इफ्तेखारूद्दीन)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-30/2017/1027(1)/92-1-2017-तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2- आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राम रतन)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in